THE MAINTENANCE & WELFARE OF PARENTS & SENIOR CITIZENS ACT

1. Who can file an application for maintenance under this Act?

Ans. An application for maintenance under this Act can be made by:-

a) A senior citizen or a parent, as the case may be; or

b) If is incapable, by any other person or organization authorized by him; or

c) The Tribunal may take cognizance suo motu.

2. Whether Childless senior citizens can also claim maintenance and from whom?

Ans. Childless senior citizen can claim maintenance from his legal heir who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after his death.

3. The application for maintenance is to be filed before which authority.

Ans. The application for maintenance is to be filed before the Tribunal which is headed by the Sub-Divisional Officer.

4. Transfer of property by senior citizen can be declared to be void by the Tribunal under what circumstances?

Ans. Where a senior citizen has transferred by way of gift or otherwise his property, subject to the condition that the transferee shall provide basic amenities and basic physical needs to the senior citizen, and such transferee has refused or fails to provide such amenities and physical needs, the transfer shall be deemed to have been obtained by fraud or coercion or undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the Tribunal.

5. What is the punishment for abandonment of senior citizens and whether the offence is cognizable and bailable?

Ans. Whoever having the care or protection of senior citizen, leaves such senior citizen in any place with intention of wholly abandoning such senior citizen, shall be punishable with imprisonment extending upto 3 months or fine upto Rs.5,000/- or with both. The said offence is cognizable and bailable.

<u>वरिष्ठ नागरिकों व अभिभावकों की देखभाल व गुजारा भत्ता</u>

प्रश्न *इस अधिनियम के तहत कौन गुजारे भत्ते के लिए आवेदन कर सकता है?*

उत्तर इस अधिनियम के तहत गुजारे भत्ते के लिए निम्नलिखित आवेदन दे सकते हैं।

क) एक वरिष्ठ नागरिक या माता/पिता

ख) यदि वह असमर्थ है तब उसके द्वारा अधिकृत कोई संगठन या व्यक्ति

ग) अधिकरण स्वयं संज्ञान ले सकता है।

प्रश्न *क्या संतानहीन वरिष्ठ नागरिक गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है और किससे?*

उत्तर संतानहीन वरिष्ठ नागरिक अपने कानूनी उत्तराधिकारी से गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है, जो कि नाबालिग न हो, और जो उसकी संपति के कब्जे में हो, या जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पति का उत्तराधिकार होगा।

प्रश्न *किस प्राधिकरण के पास गुजारे भत्ते के लिए आवेदन किया जाए?*

उत्तर गुजारे भत्ते के लिए ट्रिब्यूनल के पास आवेदन दिया जायेगा जिसकी अध्यक्षता उप-मण्डल अधिकारी करेगा।

प्रश्न *किन परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिक द्वारा सम्पति के हस्तांतरण को अधिकरण द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है ?*

उत्तर जहां वरिष्ठ नागरिक ने अपनी सम्पति उपहार द्वारा या अन्य माध्यम से इस शर्त के तहत हस्तांतरित की हो, जाऐगा कि सम्पति प्राप्तकर्ता वरिष्ठ नागरिक को मूलभूत सुविधायें व मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा, तथा वह प्राप्तकर्ता सुविधाऐं या भौतिक आवश्यकता प्रदान करने में विफल रहे, इन्कार करे या असफल रहे, तो हस्तांरण को धोखे से या दबाव से या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया माना जायेगा तथा हस्तांतरणकर्ता की याचिका पर चुनाव पर अधिकरण द्वारा अवैध घोषित किया जाएगा।

प्रश्न *वरिष्ठ नागरिक के परित्याग की क्या सजा है और क्या अपराध संज्ञेय और जमानती है?*

उत्तर जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखभाल व सुरक्षा है, और वो वरिष्ठ नागरिक के परित्याग की नीयत से स्थान पर छोड़ देता है, उसे तीन महीने तक का कारावास का दण्ड या 5000/- रूपये तक जुर्माना या दोनों होंगें। उक्त अपराध संज्ञेय व जमानतीय है।